Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

स्वापक औषधी और पुलिस प्रशासन की भूमिका

मनुदेव पाटीदार* डॉ. बालासाहेब गर्जे**

* शोधार्थी, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (लॉ) पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – स्वापक औषधी और पुलिस प्रशासन मादक पदार्थों के निर्माण, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस प्रशासन मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग के मामलों की जांच करता है, मादक पदार्थों को जब्त करता है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इसके अलावा, पुलिस प्रशासन जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लोगों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी मिल सके। प्रभावी पुलिसिंग और सामुदायिक सहयोग से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने और समुदाय की सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। सामुदायिक सहयोग से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास और समर्थन प्रदान करने में भी सहायता मिलती है। नारकोटिक्स एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन और पुलिस प्रशासन की सक्रिय भूमिका समाज को मादक पदार्थों के खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण साबित होती है। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर हम मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में सफल हो सकते हैं और एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह सामूहिक प्रयास समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देगा। मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में पुलिस और समुदाय का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शब्द कुंजी –स्वापक औषधी, एनडीपीएस निषेध।

प्रस्तावना – स्वापक औषधी के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस प्रशासन स्वापक औषधी की तस्करी और उपयोग के मामलों की जांच करता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है और मादक पदार्थों को जब्त करता है। पुलिस जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे लोगों को नार्कोटिक ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी मिल सके। प्रभावी पुलिसिंग और सामुदायिक सहयोग से नार्कोटिक ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सफलता प्राप्त की जा सकती है। पुलिस और समुदाय के संयुक्त प्रयास से नार्कोटिक ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकने और प्रभावित व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है, जिससे एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार, पुलिस की सक्रिय भूमिका और सामुदायिक सहयोग से हम नार्कोटिक ड्रग्स के खतरों से निपट सकते हैं और समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। यह सामूहिक प्रयास न केवल नार्कोटिक ड्रग्स के दुरुपयोग को कम करेगा, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षा और कल्याण को भी बढ़ावा देगा।

साहित्य समीक्षा

- **मादक पदार्थों की तस्करी: एक गंभीर समस्या राजीव एस. घिरनिकर** द्वारा लिखित इस लेख में मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या पर चर्चा की गई है। मादक पदार्थों की तस्करी एक अवैध व्यापार है जिसमें मादक पदार्थों को एक राज्य से दूसरे राज्य या देश में तस्करी की जाती है। यह समस्या न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि यह समाज और देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है।

मादक पदार्थों की तस्करी एक जटिल समस्या है जिसमें आर्थिक और सामाजिक कारक शामिल हैं। अपराधी नेटवर्क मादक पदार्थों की तस्करी के लिए नए और नवीन तरीकों का उपयोग करते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कानूनी एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कानूनी एजेंसियों को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

- **भारती ठाकुर और नीरू मित्तल के विश्लेषण में भारत के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985** को उजागर किया गया है, जो नशीली दवाओं को नियंत्रित करता है और चिकित्सा उपयोग के लिए सख्त प्रावधानों के तहत अनुमति देता है। यह अधिनियम साइकोट्रोपिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री को प्रतिबंधित करता है, उल्लंघन के लिए दंड लगाता है, और नियंत्रण और दंड को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, जो चिकित्सा महत्व और सख्त नियमन के बीच संतुलन बनाता है।

स्वापक औषधी में पुलिस की भूमिका के उद्देश्य हैं:

1. स्वापक औषधी की तस्करी और उपयोग को रोकना।
2. अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना और मादक पदार्थों को जब्त करना।
3. जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा प्रदान करना।
4. समुदाय की सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
5. स्वापक औषधी के दुरुपयोग के मूल कारणों को समझना और उन्हें संबोधित करना।
6. प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास और समर्थन प्रदान करना।

साहित्यक परिकल्पना – स्वापक औषधी दुरुप्रयोग नियंत्रण में पुलिस

की भूमिका को और मजबूत बनाने से स्वापक औषधियों के दुरुप्रयोग में कमी आएगी। पुलिस की सक्रियता और सामुदायिक सहयोग से स्वापक औषधियों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और इसके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, जिससे समाज में स्वापक औषधियों के दुरुप्रयोग को कम करने में मदद मिलेगी।

स्वापक औषधि क्या है?

स्वापक औषधि (या नारकोटिक औषधि) का अर्थ है एक ऐसा पदार्थ जो शरीर में जाने पर व्यक्ति की सामान्य कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है और नींद उत्पन्न कर सकता है. ये मनोसक्रिय पदार्थ होते हैं, जिनका सेवन करने पर व्यक्ति की चेतना और गतिविधियों में बदलाव आता है, या नींद आती है, या फिर शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।

नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के अनुसार:

1. नारकोटिक ड्रग की परिभाषा: एनडीपीएस एक्ट की धारा 2(xiv) के अनुसार, 'नारकोटिक ड्रग' का अर्थ है:

1. कोका पत्ता
2. कैनाबिस (भांग)
3. अफीम
4. पोस्ता चारा,और इसमें सभी निर्मित दवाएं भी शामिल हैं।

2. साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की परिभाषा: एनडीपीएस एक्ट की धारा 2(xxiii) के अनुसार, 'साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' का अर्थ है:

कोई भी पदार्थ, प्राकृतिक या सिंथेटिक, या कोई प्राकृतिक सामग्री या उस पदार्थ या सामग्री का कोई नमक या तैयारी जो साइकोट्रोपिक पदार्थों की सूची में शामिल है।

एनसीबी – नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से निपटने वाली एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इस ब्यूरो की स्थापना 1988 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों को लागू करना है।

ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करता है, जो भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में लगभग 500 कर्मचारी हैं, जिनमें नारकोटिक्स नियंत्रण अधिकारी, नारकोटिक्स अन्वेषक, नारकोटिक्स विश्लेषक और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। ब्यूरो पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित है, जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और गुवाहाटी में स्थित हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) का सदस्य है। यह दक्षिण एशियाई नारकोटिक्स नियंत्रण आयोग (एसएएनएसीसी) का भी हिस्सा है, जो एक क्षेत्रीय निकाय है जिसमें सात सदस्य देश शामिल हैंरू भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के कार्य निम्नलिखित हैं:

1. मादक दवाओं और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकना है – एनसीबी मादक दवाओं और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम करती है। इसमें तस्करी के मार्गों की पहचान करना, तस्करों को पकड़ना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है।

2. मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना – एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी एकत्र करती है और उसका विश्लेषण करती है। इससे तस्करी के तरीकों और तस्करों के नेटवर्क को समझने में मदद मिलती है।

3. मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाना – एनसीबी मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाती है, जिसमें तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करना, मादक पदार्थों को जब्त करना और तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना शामिल है।

4. मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय करना – एनसीबी राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है ताकि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

5. मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना – एनसीबी कानून प्रवर्तन कर्मियों को मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे तस्करी के मामलों में प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकें।

6. मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने की वकालत करना – एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने की वकालत करती है, जिससे तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके और मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके।इन कार्यों के माध्यम से, एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और समाज को सुरक्षित बनाने के लिए काम करती है।

एनसीबी की शक्तियां – नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक ब्यूरो है। एनसीबी का प्राथमिक उद्देश्य 1985 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट को लागू करना है। एनसीबी नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए भारत और विदेशों में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संपर्क और समन्वय का भी काम करता है।

1. मादक दवाओं और मन: प्रभावी पदार्थों को जब्त करना – एनसीबी को मादक दवाओं और मन: प्रभावी पदार्थों को जब्त करने की शक्ति प्राप्त है। जब एनसीबी को किसी मादक पदार्थ की तस्करी की जानकारी मिलती है, तो वे उस पदार्थ को जब्त कर सकते हैं और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।

2. बिना वारंट के अपराधियों को गिरफ्तार करना – एनसीबी को बिना वारंट के अपराधियों को गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है। यदि एनसीबी के पास किसी व्यक्ति के मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का पर्याप्त सबूत है, तो वे उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं।

3. बिना वारंट के किसी भी परिसर में प्रवेश करना और तलाशी लेना – एनसीबी को बिना वारंट के किसी भी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त है। यदि एनसीबी के पास किसी परिसर में मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी है, तो वे उस परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं।

4. किसी भी वाहन को रोककर उसकी तलाशी लेना – एनसीबी को किसी भी वाहन को रोककर उसकी तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त है। यदि एनसीबी के पास किसी वाहन में मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी है, तो वे उस वाहन को रोक सकते हैं और उसकी तलाशी ले सकते हैं।

5. **किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना जिसने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया हो –** एनसीबी को किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है जिसने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया हो। यह शक्ति एनसीबी को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में मदद करती है।

6. **स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों के परिवहन का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों से दस्तावेजों की मांग –** एनसीबी स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों के परिवहन का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों से संबंधित दस्तावेजों की मांग कर सकती है। इससे एनसीबी को यह जानने में मदद मिलती है कि क्या व्यक्ति के पास आवश्यक अनुमति और दस्तावेज हैं या नहीं।

7. **वाहनों में पाए गए मादक पदार्थों को जब्त करना –** यदि एनसीबी किसी वाहन में मादक पदार्थ पाती है, तो वह उन्हें जब्त कर सकती है। इससे एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में मदद कर सकती है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

8. **मादक पदार्थों के नमूने लेना –** एनसीबी मादक पदार्थों के नमूने ले सकती है ताकि उनकी जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि वे वास्तव में मादक पदार्थ हैं या नहीं। इससे एनसीबी को मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

9. **व्यक्तियों से जांच के लिए मादक पदार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना –** एनसीबी किसी भी व्यक्ति से जांच के लिए मादक पदार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है। इससे एनसीबी को यह जानने में मदद मिलती है कि व्यक्ति के पास मादक पदार्थ हैं या नहीं और यदि हां, तो क्या उनके पास इसके लिए आवश्यक अनुमति है या नहीं।

10. **मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए कार्रवाई करना –** एनसीबी मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए कार्रवाई कर सकती है। इसमें मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना शामिल है।

11. **स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों के विनाश के लिए आवश्यक उपाय करना –** एनसीबी स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों के विनाश के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है। इससे मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में मदद मिलती है और समाज को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है।इन शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ, एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज को सुरक्षित बनाने में मदद करती है।

12. **मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम –** एनसीबी मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करती है। इसमें जागरूकता अभियान चलाना, मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना और लोगों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचने के लिए प्रेरित करना शामिल है।

13. **नशे के आदी लोगों के उपचार और पुनर्वास –** एनसीबी नशे के आदी लोगों के उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण के लिए आवश्यक उपाय करती है। इसमें नशे के आदी लोगों को उपचार और पुनर्वास केंद्रों में भेजना और उन्हें समाज में पुन: एकीकृत करने में मदद करना शामिल है।

14. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग –** एनसीबी मादक पदार्थ नियंत्रण में संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों के साथ सहयोग करती है। इससे एनसीबी को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्तर पर सहयोग करने में मदद मिलती है।

15. **केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कार्य –** एनसीबी ऐसे अन्य कार्य करती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इससे एनसीबी को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने में मदद मिलती है और समाज को सुरक्षित बनाने में मदद मिलती है।

एनसीबी का मिशन – नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने के लिए जिम्मेदार एक सरकारी एजेंसी है। एनसीबी का मिशन 'भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना और वैध दवाओं के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखना' है। एनसीबी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क विभाग और खुफिया ब्यूरो जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है।

स्वापक औषधी के दुरुप्रयोग को नियंत्रित करने के लिए पुलिस निम्नलिखित कदम उठा सकती है:

1. **जागरूकता अभियान चलाना –** पुलिस स्वापक औषधियों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चला सकती है, जिससे लोगों को इसके खतरों के बारे में पता चले और वे इसके दुरुप्रयोग से बच सकें।

2. **मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना –** पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें तस्करों को पकड़ना और मादक पदार्थों को जब्त करना शामिल है।

3. **अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना –** पुलिस स्वापक औषधियों के दुरुप्रयोग में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार करना और उनके खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल है।

4. **सामुदायिक सहयोग बढ़ाना –** पुलिस सामुदायिक सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर सकती है, जिसमें लोगों को स्वापक औषधियों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना और उन्हें इसके दुरुप्रयोग के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना शामिल है।

5. **पुनर्वास और उपचार केंद्रों के साथ सहयोग करना –** पुलिस पुनर्वास और उपचार केंद्रों के साथ सहयोग कर सकती है, जिसमें नशे के आदी लोगों को उपचार और पुनर्वास के लिए भेजना और उन्हें समाज में पुन: एकीकृत करने में मदद करना शामिल है।

6. **मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर निगरानी रखना –** पुलिस मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर निगरानी रख सकती है, जिसमें अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है।

7. **स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना है –** पुलिस स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चला सकती है, जिसमें छात्रों को स्वापक औषधियों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना और उन्हें इसके दुरुप्रयोग से बचने के लिए प्रेरित करना शामिल है।

इन कदमों के माध्यम से, पुलिस स्वापक औषधी के दुरुप्रयोग को

नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और समाज को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती है।

निष्कर्ष – स्वापक औषधी दुरुप्रयोग नियंत्रण में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस प्रशासन स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मादक पदार्थों को जब्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, पुलिस जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे लोगों को स्वापक औषधियों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी मिल सके और वे इसके खतरों से बच सकें।

प्रभावी पुलिसिंग और सामुदायिक सहयोग से स्वापक औषधी दुरुप्रयोग को रोकने और समाज को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है। जब पुलिस और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो वे मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने में अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

इसके अलावा, पुलिस की भूमिका न केवल मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने में है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने में है कि समाज में मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़े और लोग इसके खतरों से बचने के लिए प्रेरित हों। इस प्रकार, पुलिस की भूमिका स्वापक औषधी दुरुप्रयोग नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में मदद करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. टैक्समैन का नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कानून बिद्युत कुमार बनर्जी।
2. नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कानून के एम शर्मा और एस पी मागो।
3. नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कानून बिद्युत कुमार बनर्जी और श्रीनिवासन गोपाल।
4. व्हाइट्समैन का नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 पर टिप्पणी योगेश वी नैय्यर।
5. नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस: समस्या और कानून की समझ डॉ. श्रद्धा पांडे।
6. कस्टम्स एक्ट, 1962 पी एल मलिक।
7. भारतीय न्याय संहिता, 2023 डी गौर।
8. भारतीय न्याय संहिता, 2023 बसंती लाल बाबेल।
9. समाचार पत्र और पत्रिका स्रोत: दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, पत्रिका।

****